अनिता आदि बनाम अब्दुल जब्बार आदि
2025 / 111
निर्णय दिनांकः–27.11.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी –सुनील कुमार I आर.ए.एस.)

अपील संख्याः–2025 / 111 दर्ज तिथिः–14.10.2025

वादी		प्रतिवादी
अनिता वगैरह	बनाम	अब्दुल जबार वगैरह
जरिये अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र डूडी		जरिये अधिवक्ता श्री हीरालाल मंडार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–09 नियम–09
सिविल प्रक्रिया संहिता–1908
निर्णय तिथिः–27.11.2025

–:निर्णयः–

आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–09 के अन्तर्गत बाबत् निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सुक्ष्म एवं सारतः वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी ने सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–09 व धारा 151 सी.पी.सी. के तहत हाजा न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र का विवरण निम्न प्रकार हैः–

- राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 111, 128 के अन्तर्गत अनुवान संख्या 26 / 2024 निर्णय दिनांक 01.10.2025 राजस्व प्रकृति का है जिसमें प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता मुझ प्रार्थी की ओर से पैरवी की जा रही थी प्रार्थीगण की उपस्थिति व्यक्तिगत रूप से माननीय न्यायालय के समक्ष अनिवार्य नहीं थी। दिनांक 01.10.2025 की नियत तारीख पेशी पर मैं प्रार्थीगण का अधिवक्ता बीमार हो जाने से प्रार्थना–पत्र की सुनवाई के समय हाजिर अदालत नहीं आ सका था तथा प्रार्थीगण की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य नहीं होने से प्रार्थीगण भी उपस्थित नहीं आ सके थे जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दिनांक 01.10.2025 को अदम हाजरी प्रार्थीगण व अदम पैरवी अधिवक्ता में खारिज फरमा दिया गया जब कि प्रार्थना–पत्र वास्ते जवाब अप्रार्थीगण में नियत था।
- प्रार्थीगण उनके अधिवक्ता मुझ प्रार्थी की प्रार्थना–पत्रकी सुनवाई के वक्त अनुपस्थिति ऊपर वर्णित कारण व परिस्थितियों में हुई थी प्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता जानबूझ कर अनुपस्थित नहीं रहे थे।
- अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व धारा [illegible] जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम [illegible] पैरवी व अदम हाजरी में दिनांक 01.10.2025 को खारिज फरमाये [illegible] है को निरस्त फरमाया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अनिता आदि बनाम अब्दुल जब्बार आदि
2025/111
निर्णय दिनांकः–27.11.2025

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण पुनः वाजबे नम्बर पर लिए जाने का व आगामी कार्यवाही किए जाने का आदेश फरमावें।

- प्रकरण न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल अप्रार्थी संख्या 02 असालनत–वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। अप्रार्थी संख्या 02 के अतिरिक्त शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण अनिता वगैरा ने धारा 111, 128 का प्रार्थना–पत्र पेश किया था जिस प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण संख्या 01 ता 27 को प्रार्थी बनाया गया था लेकिन प्रार्थना–पत्र की सुनवाई के दिन एक भी प्रार्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं आया। राजस्व वाद में प्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं आया। राजस्व वाद में प्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं होगा ऐसा किसी भी कानून में नहीं लिखा हुआ है। प्रार्थना–पत्र सन 2024 से विचाराधीन है। मुझ अप्रार्थी संख्या 02 व 01 के अलावा सभी अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के परिवार के लोग हैं इसलिए अन्य अप्रार्थीगण जवाबन देकर उनको लम्बा करना चाहते हैं ताकि अप्रार्थी संख्या 02 की पत्थरगढ़ी के हुए आदेश की पालना न हो सके। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे। क्योंकि प्रार्थीगण एकतरफा जारी आदेश अनिश्चित काल की अवधि के लिए कायम रखना चाहते हैं जो न्यायोचित नहीं है।
- अप्रार्थी संख्या 02 प्रतापसिंह की खातेदारी कृषि भूमि की पैमाईश करवाकर पत्थरगढ़ी बाबत अप्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि की पैमाईश का पुख्ता सीमांकन करने का आदेश दिनांक 24.06.2010 को पारित किया हुआ है जिसकी पालना न्यायालय द्वारा करवाई जा रही है वा सेटलमेन्ट विभाग सीकर द्वारा नियुक्त टीम द्वारा दिनांक 22.03.2024 को पुलिस जाब्ता लेकर मौके पर सुपर इम्पोज मार्शन से निशान देही की गई थी जिसकी पुख्ता पत्थरगढ़ी होनी थी लेकिन अप्रार्थी संख्या 02 की पालना रोकने के लिए प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने षड़यंत्रपूर्वक तरीके से दुरभी संधि करके स्थगन आदेश जारी करवा लिया। उस स्थगन आदेश के कारण अप्रार्थी संख्या 02 की पालना नहीं हो पा रही है जिस कारण अप्रार्थी संख्या 02 को भारी क्षति हो रही है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है।
- प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में बीमार होने का कथन किया है, बीमारी के संबंध में कोई भी दस्तावेज व बीमारी का विवरण एवं ईलाज के कागजात वा डॉक्टर का प्रमाण–पत्र पेश नहीं किया है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता अपने पक्षकार को सूचित कर सकते थे या किसी अन्य अधिवक्ता को उपस्थित होने के लिए अधिकृत कर सकते थे लेकिन यह प्रार्थना–पत्र आधारहीन व गलत तथ्य लिखकर पेश किया गया है इसलिए प्रार्थीगण द्वारा पेश आदेश 09 नियम 09 सी.पी.सी. व धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।
- प्रकरण में बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने जिरह प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि उक्त पत्रावली की सुनवाई तिथि के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता बीमार होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाये थे वर्तमान में उक्त पत्रावली का गुणवागुण पर निर्णय नहीं होने से प्रार्थीगण न्याय से वंचित रहेंगे। अतः उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त पत्रावली को पुनः सुनवाई हेतु रखा जावे। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने निवेदन कि[illegible]वाई की तिथि को वादी अधिवक्ता बीमार होने के कारण सुनवाई की [illegible] हुए तो दस्तावेज व बीमारी का विवरण एवं ईलाज के [illegible] नहीं किया है। अप्रार्थी संख्या 02

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

की पालना रोकने के लिए प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने षड़यंत्रपूर्वक तरीके से दुरभी संधि करके स्थगन आदेश जारी करवा लिया। उस स्थगन आदेश के कारण अप्रार्थी संख्या 02 की पालना नहीं हो पा रही है जिस कारण अप्रार्थी संख्या 02 को भारी क्षति हो रही है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

- प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया है। प्रकरण में हाजा न्यायालय पर विचाराधीन प्रकरण अनिता वगैरह बनाम अब्दुल जबार वगैरह प्रकरण संख्या 26/2024 के अदम पैरवी अदम हाजिरी में खारिज होने की कार्यवाही को निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई पर लेने हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–09 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–09 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी प्रकरण में किसी पक्षकार के विरूद्ध सुनवाई की तिथि पर उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए की गई अग्रिम कार्यवाही से पीड़ित पक्षकार द्वारा न्यायालय द्वारा की गई एकतरफा कार्यवाही को निरस्त करते हुए सुनवाई का अधिकार देने हेतु अपनी अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण प्रस्तुत कर न्यायालय को संतुष्ट करते हुए न्यायालय से की गई एकतरफा कार्यवाही को निरस्त करने का अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।
- किसी न्यायालय में अधिवक्ता की तरफ से पैरवी में खामी का खामियाजा पक्षकार को नहीं देने बाबत् विधि का सुमान्य सिद्धांत है। अतः न्यायालय को किसी महत्वपूर्ण विवाद के प्रश्न को बिना गुणवागुण कर निर्णित किये केवल प्रक्रियात्मक कमी की वजह से न्यायालय से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। अप्रार्थी को प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के खण्डन हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होंगे। अतः प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को पुनः सुनवाई पर लेने से अप्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होना प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को न्यायहित में गुणवागुण पर निर्णित करने हेतु सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु सहमत है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–09 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर मूल प्रार्थना–पत्र पर अदम पैरवी में खारिज करने की गई कार्यवाही को निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई पर लिया जाता है।

- यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 27.11.2025 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:49 IST
Reason: SelfAttested